BAGHPAT POLICE

सेवा, सुरक्षा, संवेदना

दिनांक 04-07-2023 को थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र में एक महिला के साथ 02 अभियुक्तों द्वारा निंदनीय घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र सिंह द्वारा मु0अ0सं0 185/23 धारा 452/394/342/376डी/377/324/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर घटना का 05 दिनों मे सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों 1.राशिद पुत्र रोशन निवासी मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद हाल पता सराय मोड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व 2.आबिद पुत्र शराफत निवासी कल्लू गढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना के सफल अनावरण पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा पुलिस टीम को 25000 रुपये का इनाम दिया गया था।

महिला के साथ निंदनीय घटना करने वाले आरोपियो को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए प्रभारी निरीक्षक कौशलेन्द्र सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में 14 दिनों में चार्जशीट दाखिल की गई थी। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के सफल पर्यवेक्षण में मॉनिट्रिंग सैल बागपत द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने पर मा0 न्यायालय ADJ FTC प्रथम जनपद बागपत द्वारा दिनांक 03-02-2024 को दोनों अभियुक्तों राशिद व आबिद को आजीवन कारावास एवं 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

वैज्ञानिक साक्ष्य एवं आधुनिक तकनीक का समावेश कर अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु वर्ष 2024 का "केन्द्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक" प्राप्त करने पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना सिंघावली अहीर श्री कौशलेन्द्र सिंह को बहुत-बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 02-11-2024**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

योगेन्द्र पुत्र रामसिंह निवासी बड़ा मौहल्ला कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सत्यवीर परमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-उ0नि0 युटी सुजित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकडा जनपद बागपत।